विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
16	(क) क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी के दो शिक्षक साहित्य चोरी में पकड़े गये थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति ने इन दोनो शिक्षकों को दोषी पाते हुए कड़ी कार्यवाही की सिफारिश भी की थी परन्तु संस्थान के निदेशक ने जॉच समिति की रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोन्नति करते हुए प्रोफेसर बना दिया है जबकि विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा इस प्रकरण में पत्रावली पर प्रतिकूल टीप की गयी है ?	संस्थान के सदस्यों को कैरियर प्रोन्नयन योजना (CAS) का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु दिनांक 01.12.2017 को साक्षात्कार के समय 02 संकाय सदस्यों प्रो० यशपाल सिंह, सी०एस०ई० विभाग तथा प्रो० डी०सी० ध्रुबकारिया , ई०एण्ड सी० विभाग पर साहित्यिक चोरी (प्लेगरिज्म) का मामला संस्थान के संज्ञान में आया । संस्थान की 25वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक दिनांक-24.04.2018 में परिषद द्वारा प्रकरण का पुनर्विचार किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम मे दिनांक-04.02.2019 को संस्थान की प्रशासकीय परिषद की 26वीं बैठक में परिषद द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 05 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। (2) प्रकरण में गठित पांच सदस्यीय प्रारम्भिक जांच समिति की संस्तुति को संस्थान की प्रशासकीय परिषद की 36वीं बैठक मे रखा गया । परिषद द्वारा जांच समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत दोनों संकाय सदस्यों पर संस्थान के बॉयलाज में प्राविधानित नियमों तथा प्लेगरिज्म (साहित्यिक चोरी) हेतु यू०जी०सी० नियमों में प्राविधानित व्यवस्थानुसार विचार कर सम्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रो० शिशिर सिन्हा, निदेशक, के०एन०आई०टी०, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया । (3) प्रकरण में नामित जांच अधिकारी, प्रो० शिशिर सिन्हा, निदेशक, के०एन०आई०टी०, सुलतानपुर ने अपचारी संकाय सदस्यों के विरूद्ध आरोप पत्र देते हुये जवाब मांगा गया । दोनों संकाय सदस्यों द्वारा दिये गये जवाब, प्रकरण में प्राप्त विधिक राय एवं प्रकरण में दोषी छात्र द्वारा सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं पर लिये जाने सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख करते हुये पत्र दिनांक-28.10.2021 के माध्यम से जांच अधिकारी की संस्तुतियों को संस्थान की 38वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में रखा गया, जिसमे प्रशासकीय परिषद को जांच आख्या की वस्तुस्थिति से अवगत होते हुये उक्त दानो संकाय

		सदस्यों के विरूद्ध चल रही जांच को बंद करने तथा उक्त दोनों संकाय सदस्यो को सुझाव पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया कि भविष्य में इनके द्वारा सावधानी पूर्ण कार्य किया जाय। (4) जहां तक प्रतिकूल टिप्पणी लिखे जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्समय तत्कालीन प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान की पत्रावली पर उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के रूप में यह टीप की गयी थी कि 38वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत संस्तुति (जांच अधिकारी प्रो० शिशिर सिन्हा, निदेशक, के०एन०आई०टी०, सुलतानपुर की जांच आख्या) पर पुनर्विचार किया जाय । दिनांक-15.09.2022 को सम्पन्न हुई 40वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में परिषद द्वारा गम्भीर विचार विमर्श के बाद 38वीं बैठक में इस सम्बन्ध में लिये गये पूर्व निर्णय (जांच समाप्त करने) पर पुनः अपनी सहमति व्यक्त की गयी ।
	(ख) यदि हॉ, तो क्या उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की एक उच्चस्तरीय जॉच कराते हुए सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही कराकर की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार ।
	(ग) यदि नही, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

आशीष पटेल
मंत्री,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।